

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ0ग0) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0
शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

--: प्रारंभिक अधिसूचना ::--

क्रमांक / 9726 / भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 22/07/2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है-

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	पोंडी उपरोड़ा	पुटुवा प.ह.न. 37	35	0.306	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)	पुटुवा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु
			72 / 2	0.185		
			164	0.177		
			184	0.101		
			185			
			186	0.020		
			238	0.413		
			71 / 1	0.020		
			72 / 1	0.141		
			235 / 4	0.028		
			235 / 5	0.036		
			235 / 6	0.032		
			183 / 1	0.024		
			183 / 2	0.024		
			183 / 3	0.024		
			183 / 4	0.036		
			183 / 5	0.036		
योग:-			156	1.604		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), पोंडी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।



4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अन्तिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ0ग0) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पोड़ी उपरोड़ा


(अर्जुन वसंत)
कलेक्टर,
जिला-कोरबा(छ.ग.)
एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग